



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्य ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 07/2023/परीक्षा/दिनांक 24/05/2023

प्रकाशन की तिथि: 31/05/2023

:: विज्ञापन ::

पुरातत्वीय अधिकारी, पुरालेखवेत्ता, मुद्राशास्त्री, पुरातत्वेत्ता एवं संग्रहाध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 29/05/2023 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 17/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनूअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29/05/2023 को मध्याह्न 12:00 बजे से 17/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 18/06/2023 अपराह्न 12:00 बजे से 19/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार नि:शुल्क होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य नि:शुल्क त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 20/06/2023 को मध्याह्न 12:00 बजे से 21/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रु. 500/- (रुपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- वर्ग (कैटेगरी) सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में नहीं का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	पुरातत्वीय अधिकारी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12
2	पुरालेखवेत्ता	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	मुद्राशास्त्री	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
4	पुरातत्वेत्ता	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5	संग्रहाध्यक्ष	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
कुल											7	

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन (OA, OL, HH) ही मान्य होंगे।
- यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग पत्र/भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
- रिक्तियों में आरक्षण :-
(i) उपर्युक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।

- (ii) छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएं।
- परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन

क्रमशः

कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव:-

(A) -

(i) पद का नाम :- पुरातत्वीय अधिकारी, पुरालेखवेत्ता, (i)

मुद्राशास्त्री एवं पुरातत्वेत्ता

(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी

(iii) वेतन मैट्रिक्स :- लेवल-12 (56100-177500)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। (ii)

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) अनिवार्य- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम.ए. या उसके समतुल्य बी.ए. आनर्स उपाधि।

(2) माध्यमिक स्तर तक संस्कृत एक विषय के रूप में।

अनुभव- संग्रहालय तथा पुरातत्व के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

अन्य अर्हता- मान्यता प्राप्त शोध-जर्नल में कम से कम तीन लेख प्रकाशित हो।

(ख) वांछनीय- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुरातत्व में पत्रोपाधि तथा इस विषय में अर्थात् प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में अनुसंधान कार्य।

(B) -

(i) पद का नाम :- संग्रहाध्यक्ष

(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी

(iii) वेतन मैट्रिक्स :- लेवल-12 (56100-177500)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। (iv)

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) अनिवार्य- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम.ए. या उसके समतुल्य बी.ए. आनर्स उपाधि।

(2) माध्यमिक स्तर तक संस्कृत एक विषय के रूप में।

अनुभव - संग्रहालय तथा पुरातत्व के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

अन्य अर्हता - मान्यता प्राप्त शोध-जर्नल में कम से कम तीन लेख प्रकाशित हो।

(ख) वांछनीय- संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि।

(3) परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की (v)

परिवीक्षा पर की जाएगी।

अवधि में निम्नानुसार स्टापपेण्ड देय होगा:-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,

द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,

तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टापपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। (vi)

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा। (vii)

महत्वपूर्ण नोट:-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। (ix)

(4) निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात् 40 वर्ष आयु सीमा की छूट होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या काटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र. /1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दश में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निवासी विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त

- खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार सविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने सविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- (xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायत कर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भरती के पदों में की जाने वाली भरती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी, उक्त अवधि दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।
- (iii) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2023 के संदर्भ में की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा- डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक हैं, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।**
- (iv) जाति प्रमाण पत्र :-
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-
- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका - 4(vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका - 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (v) विज्ञापन की कंडिका - 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका - 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सविदा अनुभव" का प्रमाण-पत्र।
- (vii) विज्ञापन की कंडिका - 4(xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता" का प्रमाण-पत्र।
- (7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक,

निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/ शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) **आपराधिक अभियोजन :-**
- (A) **ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-**
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- (ii) पररूप धारण (इम्पर्सोनेशन) किया हो, या
- (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/ किया हो, या
- (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष / वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (xi) **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।**
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/ या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
- (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार

किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) **अनर्हता:-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-

(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/ नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) **चयन प्रक्रिया :-** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा "केवल" साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो में प्रकाशित है।

(iii) परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।

(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है।

(11) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-**

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (चार सौ रुपये) आवेदन शुल्क देय होगा। **छत्तीसगढ़ राज्य के**

स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रुपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाए तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(13) परीक्षा के संबंध में :- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी एवं तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर को रजिस्टर्ड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से आयोग में जमा कर सकते हैं।

(14) अत्यंत महत्वपूर्ण :-

(i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन/छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, उसे सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते हैं अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते हैं।

(iii) स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना

सह लेखक लाने या जिला/संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला/संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 पर उपलब्ध प्रारूप में प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रपत्र-2 व प्रपत्र -3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर के साथ अपने पास सुरक्षित रखा जाना है। जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु अभ्यर्थी को पूरी तरह से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित (सक्षम अधिकारी, सहलेखक एवं स्वयं जो भी लागू हो) प्रपत्र 01, 02, 03 एवं 04 प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक के सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो ही स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला/संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

(iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी।

(15) यात्रा व्यय का भुगतान :-

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकट किराया दिया जाएगा।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ

परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

- (iii) **साक्षात्कार के लिये** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 15(i) में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (16) **आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार** विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (17) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्रारंभिक सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।
- (18) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।
- (19) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।
- (20) **विज्ञापित में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):**— इस विज्ञापित में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/—

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-4
प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (घ) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासीके पुत्र/पुत्री, आयुवर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति(उम्मीदवार का नाम) जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की हैऔर यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है औरतक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-4
प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर किए गए 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासीके पुत्र/पुत्री, आयुवर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति(उम्मीदवार का नाम) जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की हैऔर यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है औरतक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-5
प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो (राज्य का नाम) के(जिले) में (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्रीन की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-5
प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (घ) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो (राज्य का नाम) के(जिले) में (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-6प्रपत्र-3

प्रति,

कलेक्टर,

जिला -----

विषय:- आयोग द्वारा आयोजित ----- परीक्षा में सह लेखक प्रदाय करने संबंधी।

---00---

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं ----- पिता श्री ----- आयोग द्वारा आयोजित ----- परीक्षा दिनांक ----- में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ। इस परीक्षा में मैं एक दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग (-----प्रतिशत) अभ्यर्थी हूँ।

मैं दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थी होने के कारण स्वयं लिख नहीं सकता/सकती हूँ।

अतः मैं श्री/सुश्री ----- पिता श्री ----- को सह लेखक के रूप में रखना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

अतः आपसे निवेदन है कि सह लेखक के रूप में श्री/सुश्री ----- पिता श्री ----- को सह लेखक के रूप में मान्य करते हुए प्रदाय करने की कृपा करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर -----

अभ्यर्थी का नाम -----

अभ्यर्थी का ई-मेल -----

अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर -----

परिशिष्ट-7
प्रपत्र-4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर
सह लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले स्व-घोषणा पत्र

1. परीक्षा का नाम वर्ष.....
2. परीक्षा का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफलाइन).....
3. परीक्षा का दिन व समय
4. परीक्षा केन्द्र का क्रमांक व नाम
5. अभ्यर्थी का नाम
6. अभ्यर्थी का अनुक्रमांक
7. अभ्यर्थी के पिता का नाम
8. सह लेखक का नाम
9. सह लेखक के पिता का नाम
10. सह लेखक द्वारा धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता

स्व-घोषणा पत्र

मैं निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं स्वयं की सहमति से अभ्यर्थी श्री/सुश्री..... को परीक्षा में उनके कहे अनुसार परीक्षा दिलाने में मदद करने के लिए सह लेखक के रूप में उपस्थित हुआ/हुई हूँ। मेरी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है। मेरे द्वारा स्वयं के विवेक से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने अथवा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी के कहे अनुसार ही शब्दश उत्तर लिखे अथवा चुने जाएंगे। मेरे द्वारा की गई उक्त घोषणा का कोई भी अंश चयन के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात कभी भी गलत पाया जाता है, तो मेरे विरुद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व/अथवा संबंधित विभाग को होगा तथा इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सह लेखक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/
अगुंठे का निशान

केंद्राध्यक्षक के हस्ताक्षर व
केंद्र की सील

**परिशिष्ट-एक,
“परीक्षा योजना”**

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।
- | | | |
|-------------|----------|----------------|
| परीक्षा | — | 300 अंक |
| साक्षात्कार | — | 30 अंक |
| कुल | — | 330 अंक |
- (2) परीक्षा:—
- (i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:—
- | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| प्रश्नों की संख्या | 150 | 3:00 घंटे | अंक 300 |
| भाग 1 | — छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान | — | 50 प्रश्न (100 अंक) |
| भाग 2 | — संबंधित विषय | — | 100 प्रश्न (200 अंक) |
| कुल | — | 150 प्रश्न (300 अंक) | |
- (3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/ निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।
- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जायेंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा:—
- $$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$
- जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।
- (5) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट-दो** में दी गई है।
- (6) लिखित/ कौशल/ अनुदीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा।
- (7) साक्षात्कार— साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।
- (8) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।
- (9) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (10) चयन सूची:— उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।
- (11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

□□□

परिशिष्ट-दो,
'पाठ्यक्रम'

भाग-1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनरुला, मुहावरे, हाना एवं लोकोत्तियां।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं।

Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh

1. History of Chhattisgarh, & Contribution of Chhattisgarh in Freedom Movement.
2. Geography, Climate, Physical status, Census, Archeological and Tourist Centres of Chhattisgarh.
3. Literature, Music, Dance, Art and Culture, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddle (जनरुला), Singing (हाना) of Chhattisgarh.
4. Tribes, Special Traditions, Teej and Festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, Forest and Agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative Structure, Local Government and Panchayatiraj of Chhattisgarh.
7. Industry in Chhattisgarh, Energy, Water and Mineral Resource of Chhattisgarh.
8. Current Affairs of Chhattisgarh.

Part-2

(पुरातत्वीय अधिकारी एवं पुरालेखवेत्ता पद हेतु)

Pre Historic India
प्रागैतिहासिक भारत

Unit-1

- 1- Palaeo-environment and changing culture
परिवर्तित संस्कृति एवं जीवाश्म पर्यावरण
- 2- Geo archaeology: Palaeontology, Palaeo Botony
भू-पुरातत्व: जीवाश्म विज्ञान एवं पुरा वनस्पतिशास्त्र

Unit-2

Tool type and its technique of manufacture
प्रागैतिहासिक प्रस्तर उपकरण, प्रकार एवं निर्माण तकनीक

Unit-3

Palaeolithic cultures: Lower Palaeolithic, Middle Palaeolithic, Upper Palaeolithic, distribution stratigraphy

and cultural distribution in Himalyan context (Extra Peninsular India) and Paninsular India.

पुराप्रागैतिहासिक संस्कृति, निम्न पुरापाशाण काल, मध्य पुरापाशाण काल, उच्च पुरापाशाण काल का स्तर-विन्यास एवं वितरण क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में

Unit-4

1. Mesolithic cultures: alluvial Plain adaptation, Horse shoe lae sites, sandstone landscape, plateau occupation.

मध्यपाशाण काल का अभिग्रहण क्षेत्र एवं भू-परिदृश्य-कछारी क्षेत्र, रेतीली क्षेत्र घुड़नाल आकार झील तथा पठारी क्षेत्र

2. Neolithic cultures of India

नव पाशाणकालीन भारत

Unit-5

Sites with special reference to Sohan, Belan, Narmada, Mahanadi, Son, Godawari.

पुरास्थल-सोहन, बेलन, नर्मदा, महानदी एवं गोदावरी घाटियों के विशेष संदर्भ में।

भारत का इतिहास (सिंधु घाटी सभ्यता से 4 थीं शताब्दी ई.पूर्व तक)

History Of India, From Indus Valley Civilization To 4th B.C.

Unit-1

1. प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोत.
Sources of ancient Indian History
2. साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत.
Archaeological and Literacy sources.

Unit-2

1. सिन्धु घाटी की सभ्यता का उद्भव एवं विकास.
Origin and Development of Indus Valley Civilization
2. सिन्धु सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा
Important sites of Indus valley, Mohan Jodaro, Harappa and Kalibanga.

Unit-3

वैदिक काल- आर्य कौन थे, उनके मूल स्थान व ऋग्वैदिक कालीन एवं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थितियों
Vedic age- who were the Aryans? Their original place.
Vedic and Later Vedic Age, Polity, Society, Economy and religion.

Unit-4

1. महाजनपद काल
Mahajanapada Period
2. छठीं शताब्दी ई. पूर्व में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों
Political Conditions in the 6th cent. B.C.

Unit-5

1. नन्दवंश के शासन काल तक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष
Rise of Magadha upto the Nanda Period.

2. सिकन्दर का भारत पर आक्रमण और इसका भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रभाव

Alexander's Invasion of India and its impact on Indian Culture and Society.

भारत का इतिहास (4 थीं शताब्दी ई.पू. से 319 ई. तक)
History of India, From 4th B.C. To 319 A.D.

Unit-1

1. राजनीतिक शक्ति के रूप में मौर्यों का उत्कर्ष.
Rise of Mauryas as the political power.
2. चन्द्रगुप्त मौर्य और उनका साम्राज्य विस्तार.
Chandragupta Maurya and expansion of his Empire.

Unit-2

1. बिन्दुसार एवं अशोक का राजत्व काल.
Bindusar and Ashok and their times.
2. मौर्य साम्राज्य का पतन
Decline of the Mauryan Empire.

Unit-3

1. शुंग राजवंश (Sunga Dynasty)
2. सातवाहन वंश (Satavahan Dynasty)
3. कलिंग नरेश खार्वेल (Chedi dynasty of kalinga)

Unit-4

1. हिन्द-यूनानी शासन (Indo-Greek Rulers)
2. पश्चिम भारत के शक क्षेत्रप (Westem Shatrapa rulers)

Unit-5

1. कुशाण साम्राज्य का उत्कर्ष एवं पतन (Rise and Decline of Kushan dynasty)
2. गुप्त वंश के अभ्युदय से पूर्व उत्तरी भारत के जनपदीय राजवंशों एवं राज्यों का अध्ययन (Political Condition of Northern India Before The Rise of Guptas)

मुद्राशास्त्र /Numesmetics

Unit-1

1. इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्राओं का महत्व.
Importance of Coins as a source of history.
2. मुद्रा की उत्पत्ति एवं प्राचीनता
Origin and antiquity of Coinage
3. मुद्रा प्रचलन का अधिकार
Rights of issuing coins.

Unit-2

1. मुद्रा निर्माण पद्धति
Techniques of menting the coins,
2. आहत मुद्राएँ एवं वर्गीकरण
Classification of Punchmark coins.

Unit-3

1. जनपदीय मुद्राएँ पांचाल, कौशवी, मथुरा, उज्जैनी, तक्षशिला
Regional coins— Kausambi, Mathura, Ujjani and Taxila.

Unit-4

1. नगर राज्य एवं निगम के मुद्राएँ
Coins of City, state and Nigam
2. गणराज्यों के मुद्राएँ— मालव, यौधेय, अर्जुनायन, औदुम्बर

Republican state coins-Malav, yavdhaye, arjunayan and audumbar.

Unit-5

1. इंडोग्रीक Indogreek coins
2. सीथियन और पर्थियन Sythian and Persian Coins.

अभिलेख एवं पुरालिपि शास्त्र Epigraphy & Paliography

Unit-1

01. इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व.
Importance of the Inscriptions as a source of History.
02. प्राचीन भारत में लेखन कला का उद्भव एवं विकास.
Origin and development of Ancient writing techniques.

Unit-2

01. प्राचीन भारतीय अभिलेखों का माध्यम एवं प्रकार.
Types and Medium of Ancient Indian Epigraphy.
02. अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का स्वरूप.
Form of Ashokan Brahmi Script.
03. गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का स्वरूप.
Form of Guptas Brahmi Script.

Unit-3

- निम्न अभिलेखों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन.
Historical and cultural study of the following inscriptions.
01. अशोक के 12 वें शिलालेख 12th Rock Edict of Ashoka
 02. अशोक के 13 वें शिलालेख 13th Rock Edict of Ashoka
 03. अशोक के 7 वें लघु शिलालेख 7th Pillar inscription of Ashoka

Unit-4

- निम्न अभिलेखों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन.
Historical and cultural study of the following inscriptions.
01. बेसनगर का गरुड स्तंभ अभिलेख
Basenagar Pillar Inscription.
 02. कनिष्क द्वारा 41 राज्य वर्ष में जारी आरा अभिलेख
Aara Inscriptions of Kaniskha in 41st Year.
 03. मिनांडर का षिनकोट अस्थि मंजूशा अभिलेख
Sinkoh Gasket Inscription of Minander.

Unit-5

- निम्न अभिलेखों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन.
Historical and cultural study of the following inscriptions.
01. खार्वेल का हाथी गुफा अभिलेख
Hathigumpha inscription of Kharwell.
 02. रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख
Junagarh Inscription of Rudradaman./
 03. गोतमी बलश्री का नामिक अभिलेख
Nasik Inscription of Gootamibalshri.

कला एवं प्रतिमा विज्ञान
(Art & Iconography)

Unit-1

01. भारतीय कला की परम्परा एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं
Art tradition of India and its salient features.
02. भारत की प्रागैतिहासिक कला
Pre-historic art of India.
03. सिन्धु घाटी— मूर्तिकला, मृण्मय, मुहरे
Indus Valley -Sculptures, Terracotta & Seal.

Unit-2

01. शिशुनाग एवं नन्द युग की कला
Art of Shaisunaga and Nanda Age.
02. मौर्य कला
Mauryan Art

Unit-3

01. शुंग कालीन कला, यक्ष एवं यक्षिणी मूर्तियां
Art of the Sunga period- Yaksha & Yakshini Images,
02. सांची, भरहुत, बोध गया, अमरावती की कला
Sculptures of Sanchi, Bharhut, Bodhgya and Amaravati
03. बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति एवं विकास
Origin And Development of Buddha Image.

Unit-4

01. कुशाण कला के केन्द्र
Main schools of Art in the Kushana period.
अ). गंधार कला केन्द्र Gandhara School of Art.
ब). मथुरा कला केन्द्र Mathura School of Art
02. गुप्त कला Art of Gupta:
अ). गुप्त मूर्तिकला Gupta Sculptures,
ब). अजन्ता एवं बाघ की चित्रकला Paintings of Ajanta & Bagh

स्थापत्य**(Architecture)****Unit-1**

01. प्राचीन भारतीय स्थापत्य के साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत
Literary and Archeological sources of Ancient Indian
Archeatecture.

02. प्राचीन भारतीय स्थापत्य का उद्भव
Origin of Ancient Indian Architecture.

Unit-2

01. सिन्धु घाटी स्थापत्य:— मोहन जोदड़ो के नगर योजना, सभा भवन, महास्नानागार एवं हडप्पा के धान्यागार
Architecture of Indus valley civilization:- Pecial reference to great bath of Mohanjodaro, assembly hall, Godown of Harappa.

02. मौर्यकालीन कुम्हराहार का राजप्रसाद
Palace architecture of Mauryas - Kumarahar.

Unit-3

01. स्तूप वास्तु का उद्भव
Origin of Stupa Architecture.
02. स्तूप वास्तु के प्रकार एवं उसके अंग
Types and main features of Stupa Architecture.

Unit-4

01. भरहुत, सांची, बोधगया एवं अमरावती के स्तूप वास्तु
Bharut, Sanchi, Bodhgaya and Amaravati Stupas

Unit-5

01. पूर्वी भारत के गुहा वास्तु:—उदयगिरि, खंडगिरि एवं बराबर.
Rock Architecture of Eastern Ghats- Udayagiri Khandagiri and Barabar
02. पश्चिमी घाट के गुहा:— भाजा, कोण्डेन, नासिक, कार्ले
Rock Architecture of western Ghats-Bhaja Kondane, Nasik, and Karle

प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाएँ
**Ancient Indian Social & Economic Institute
Part-I**

Unit-1

01. प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास के स्रोत।
Sources of ancient Indian social History
02. प्राचीन भारतीय सामाजिक चिंतन की अवधारणा।
Thought and Concept of Ancient Indian Society.
03. वर्ण व्यवस्था का उद्भव एवं विकास।
Origin and development of Varna system.

Unit-2

01. प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था का उद्भव एवं विकास।
Origin and development of caste system in Ancient India.
02. आश्रम व्यवस्था Ashram System
03. पुरुशार्थ Purusharth.

Unit-3

01. प्राचीन भारतीय परिवार का स्वरूप एवं विकास।
Ancient Indian family system- Form and development.
02. परिवार की संपत्ति में उत्तराधिकार एवं पुत्र का स्थान।
Heir of Family property and the position of son.
03. स्त्रियों का स्थान परिवार एवं समाज।
Position of women in family and society.

Unit-4

01. हिन्दु संस्कार का अर्थ एवं प्रयोजन।
Meaning and aims of Hindu Sanskars.
02. संस्कारों की संख्या एवं मुख्य संस्कार।
Important Sanskars and their numbers.
03. विवाह संस्कार एवं उसका महत्व।
Importance of Hindu Marriage Sanskar

Unit-5

01. प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति।
Ancient Indian education system
02. प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केन्द्र। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय
Main education centers of Ancient India Nalanda, Vikramshila and Vallabhi.

प्राचीन भारतीय राजशास्त्र
Ancient Indian Polity.
Part-I

Unit-1

01. प्राचीनभारतीय राजशास्त्र के स्रोत
Sources of ancient Indian Polity.
02. राज्य के अंग-सप्तांग सिद्धांत
Parts of State- Theory of Saptang.
03. राज्य की उत्पत्ति
Origin of State

Unit-2

01. राज्य के प्रकार
Types of States.
02. राज्य का उद्देश्य, आदर्श एवं कार्य
Aims and objects of Ideal state

Unit-3

01. नागरिक Citizens
02. सभा समिति Sabha and Samiti
03. पौर-जनपद Paur and Janpad

Unit-4

01. प्राचीन भारतीय प्रमुख गणराज्य एवं उनके कार्य एवं प्रशासन
Republican states and their functions and administrations.
02. गणराज्यों की निर्वाचन व्यवस्था
Election system of Republicans
03. गणराज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था
Administrative system of republicans.

Unit-4

01. राजा की उत्पत्ति।
Origin of Kingship
02. राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य।
Rights and Duties of King
03. राजा के अधिकारों पर नियंत्रण
Control over king's rights.

छत्तीसगढ़ का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (6 वीं. शता. से 13 वीं शता. ई. तक) **Political and Cultural History of Chhattisgarh(6th C to 13th C)**

Part-II**Unit-1**

01. मेकल का पाण्ड्य वंश.
Pandu Dynasty of Maikal.
02. दक्षिण कोसल के पाण्डुवंश
Pandu Dynasty of Koshal-

Unit-2

01. छत्तीसगढ़ के कलचुरि वंश का उदभव
Origin of Kalchuri Dynasti of Chhattisgarh
02. रतनपुर के कलचुरि शासक

Kalchuri Rulers of Ratanpur.

Unit-3

01. बस्तर के छिन्दक नाग वंशीय शासक
Chindaknaag Dynasty of Bastar.
02. कवर्धा के फणीनागवंशीय शासक
Phaninaag rulers of Kawardha.
03. कांकर के सोमवंशीय शासक
Somvanshi rulers of Kanker.

Unit-4

छत्तीसगढ़ के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास
Social, Economic and Religious History of Chhattisgarh

Unit-5

छत्तीसगढ़ की स्थापत्य एवं मूर्तिकला
Art and Achitecture of Chhattisgarh.

इतिहास लेखन की विधि एवं अवधारणाएं
Histography, Concept and Methods

Unit-1

Meaning and Scope of History.
What is history? Collection and selection of Data (Literature, Oral tradition, Contemporary tradition etc)

इतिहास का अर्थ एवं कार्यक्षेत्र
इतिहास क्या है? तथ्यों का संग्रह या चुनाव (साहित्य पुरातत्व एवं समकालीन मौखिक परंपराएं)

Unit-2

History and other disciplines: Archaeology, Geography, Sociology, Economics, Philosophy Anthropology
इतिहास का संबंध : पुरातत्व, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र एवं मानव विज्ञान

Unit-3

Traditions of historical writing: Greco-Roman, Chinese, ancient Indian, Arabic.

इतिहास लेखन की परंपरा : भारतीय यूनानी-रोमन चीनी एवं अरबी

Unit-4

Approaches to History: Orientalist, Imperialist, Nationalist, Subaltem, Marxist

इतिहास लेखन की धारा : प्राच्यविद्, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, साम्राज्यवादी एवं अफसरशाही

Unit-5

Major theories of History: Materialistic, Cynical, Theory of Toynbee, Theory of Spenglar.

इतिहास के मुख्य सिद्धांत : भौतिकवादी, चक्रिय, ट्रयनबी का सिद्धांत एवं स्पेंगलर का सिद्धांत

संग्रहालय विज्ञान/ **Museology**

Part-I

Unit-1

संग्रहालय का परिचय

Introduction to Museum.

- (1) संग्रहालय का अर्थ एवं परिभाषा
Meaning and Definition of Museum.
- (2) संग्रहालय के प्रकार
Types of Museum.

Unit-2

संग्रहालय का इतिहास एवं विकास

History and development of Museums.

- (1) प्रारंभिक चरण के संग्रहालय (1798-1898 ई)
Early Museum(1798-1898)
- (2) द्वितीय चरण के संग्रहालय (1899-1947 ई)
Second phase of Museum(1899-1947)
- (3) तृतीय चरण के संग्रहालय (1947-2010 ई.)
Third Phase Museums(1947-2010)

Unit-3

संग्रहालय का वर्गीकरण

Classification of Museums.

- (1) प्रशासनिक आधार
Administrative Basis.
- (2) संग्रह की प्रकृति के आधार पर
Antiquity Basis.

Unit-4

संग्रहालय के कार्य

Function of Museums.

- (1) प्रारंभिक कार्य (संग्रहण, पंजीकरण, अभिलेखीकरण)
Primary Work (Collection, Registration,

Documentation)

- (2) द्वितीयक कार्य (प्रबंधन सुरक्षा प्रकाशन)
Secondary Work (Management, security and

Publication)

Unit-5

संग्रहालय की सुरक्षा एवं परिरक्षा

Security and Precaution of Museums.

- (1) सुरक्षा (चोरी से बचाव, आग से बचाव वस्तुओं के स्थानान्तरण में सावधानियों)

Security (safety from theft, fire, shifting.)

- (2) परिरक्षा (आपेक्षित आर्द्रता, पर्यावरण प्रकाश, कीड़े मकोड़ों से बचाव)
Precaution (Humidity, Environment, Light, Insects)

(मुद्राशास्त्री पद हेतु)

Numismatist / मुद्राशास्त्री**Part-A/ भाग-अ****Unit 1 Archaeology**

इकाई-1 पुरातत्व

- Archaeology: Aims and objectives
- पुरातत्व-लक्ष्य एवं उद्देश्य

- Excavations-horizontal and vertical,
- उत्खनन-क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर
- Stratigraphy and recording
- स्तर विज्ञान एवं अभिलेखन
- Dating techniques-relative and absolute dating
- काल निर्धारण तकनीक-सापेक्ष एवं शुद्ध निर्धारण
- Identification of Pottery and Stone tool
- मुद्रा पात्र संरचनाएँ एवं कलाकृतियों के लिखित प्रतिवेदन
- The writing report of sites, monuments and antiquities
- स्थल, स्मारकों एवं कलाकृतियों के लिखित प्रतिवेदन
- The Indian Treasure Trove Act, 1678
- भारतीय भू-उत्खनित कोश अधिनियम 1678
- The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959
- प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्वीय स्थल व अवशेष नियम 1959
- The Antiquities and Art Treasure Rules, 1973
- पुरावपेश एवं बहुमूल्य कलाकृति नियम 1973

Unit 2 Ancient Art of India

इकाई-2 भारत की प्राचीन कला

- Harappan Art
- हड़प्पा सभ्यता की कला
- Mauryan Art
- मौर्यकालीन कला
- Kushana Art; Gandhara and Mathura art
- कुशाण कला, गांधार एवं मथुरा कला
- Gupta Art
- गुप्तकालीन कला
- Art of Kalachuris of Ratanpur
- रतनपुर की कलचूरी कला
- Buddhist Iconography
- बौद्ध छविचित्रण
- Jain Iconography
- जैन छविचित्रण
- Brahmana Iconography (Salva and Vaishnava)
- ब्राम्हण छविचित्रण (शैव एवं वैष्णव)

Unit 3 Ancient Architecture

इकाई-3 प्राचीन वास्तुकला

- Harappan Architecture
- हड़प्पाकालीन वास्तुकला
- Mauryan Architecture
- मौर्यकालीन वास्तुकला
- Development of Stupa and Chaitya Architecture
- स्तूप एवं चैत्य वास्तुकला का विकास
- Evolution of Nagara Style of Temple - Khajuraho, Bhubaneshwar and Konark
- नागर शैली के मंदिर-खुजराहो, भुवनेश्वर एवं कोर्णाक मंदिर का विकास
- Evolution of Dravidian Style of Temple-Aihole, Mamallapuram, and Thanjavur

- द्रविड़ शैली के मंदिर—ऐहोल, मामल्लपुरम एवं थंजावुर मंदिर का विकास
- Evolution of Vesara style of temple
- वेसर शैली के मंदिर का विकास
- Panduvanshi and Kalachuri temple architecture of Chhattisgarh
- छत्तीसगढ़ के पांडुवंशी व कलचुरी मंदिर की वास्तुकला

Unit 4 Epigraphy & Palaeography

इकाई-4 पुरालेखशास्त्र एवं पुरालिपिशास्त्र

- Salient features of ancient Epigraphs. Epigraphy as a source of history.
- प्राचीन पुरालेख की मुख्य विशेषताएँ। इतिहास के स्रोत के रूप में पुरालेखशास्त्र
- Origin and Antiquity of Brahmi and Kharoshthi scripts.
- ब्राम्ही एवं खरोश्टी लिपियों की उत्पत्ति एवं उनकी प्राचीनता।
- Mauryan Brahmi and history of its Decipherment
- मौर्य ब्राम्ही एवं इसके गूढलेखन का इतिहास
- Palaeography- Bax headed Brahmi, Nail headed Brahmi and Nagri Script.
- पुरालिपिशास्त्र—चौखटा शीर्ष ब्राम्ही, नख शीर्ष ब्राम्ही एवं नागरी लिपी
- Eras and Dates in Indian Scripts
- भारतीय लिपियों में काल एवं तिथियाँ

Unit 5 Museology

इकाई-5 संग्रहालय विज्ञान

- Definition of Museology and Museography
- संग्रहालय विज्ञान की परिभाषा एवं संग्रहालय के अंतर्गत कलाकृतियों का वर्गीकरण व उनके प्रदर्शन की प्रणालियाँ
- Type of Museums
- संग्रहालय के प्रकार
- Collection and Modes of acquisition of Artifacts
- कलाकृतियों का संग्रहण एवं उनके अधिग्रहण की रीतियाँ
- Documentation process
- दस्तावेजीकरण प्रक्रिया
- Display and Exhibition
- प्रदर्शन एवं प्रदर्शनी
- Preservation of artifacts
- कलाकृतियों का संरक्षण

Numismatist / मुद्राशास्त्री

Part-B/ भाग-ब

Unit 1

इकाई-1

- Numismatics as Source of History
- इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्रा संग्रहण
- Origin and Antiquity of Coinage in India
- भारत में सिक्कों की उत्पत्ति एवं उसकी प्राचीनता

Unit 2

इकाई-2

- Metal Content of Coins, Weights and shape
- सिक्कों की धातु सामग्री, वजन एवं आकार
- Techniques of minting coin: Punch-marked, Cast, and Die-struck
- सिक्के ढालने की तकनीक—पंच चिन्हित, ढलाई एवं ठप्पांकन
- Methods of Identification and deciphering coins
- सिक्कों को पहचानने व उन्हें समझने की प्रक्रियाएँ

Unit 3 Broad Characteristics and identification of coins of ancient India

इकाई-3 प्राचीन भारत के सिक्कों की व्यापक विशेषताएँ एवं उनकी पहचान

- Punch-marked Coins,
- पंच चिन्हित सिक्के
- Local coins-Kausambi and Panchala
- स्थानीय सिक्के—कौशांबी एवं पांचाल
- Tribal coins-Yaudheyas, Malavas and Kunindas
- जनजातीय सिक्के—यौधेय, मालव एवं कुनिदास
- Satavahana coins-salient features
- सातवाहन सिक्के—प्रमुख विशेषताएँ
- Western Kshatrapa coins-Salient features
- पश्चिमी क्षत्रप सिक्के—मुख्य विशेषताएँ

Unit 4 Broad Characteristics and identification of coins of ancient India Indo-Greek Coins,

इकाई-4 प्राचीन भारत के सिक्कों की व्यापक विशेषताएँ व उनकी पहचान

- Indo-Greek Coins
- इंडो-यूनानी सिक्के
- Kushana Coins
- कुशाणकालीन सिक्के
- Gupta Coins
- गुप्तकाल के सिक्के

Unit 5 Broad Characteristics, Features and identification of coins of Chhattisgarh

इकाई-5 छत्तीसगढ़ के सिक्कों की व्यापक विशेषताएँ, लक्षण एवं उनकी पहचान

- Punch-marked coins of Chhattisgarh
- छत्तीसगढ़ के पंच चिन्हित सिक्के
- Sharabhpuri Coins
- शरभपुरी सिक्के
- Nala Coins
- नाला सिक्के
- Kalachuri Coins
- कलचुरी काल के सिक्के

(पुरातत्वेत्ता पद हेतु)

Archaeologist / पुरातत्वेत्ता

Part-A/ भाग-अ

Unit 1 Ancient Art of India

इकाई-1 भारत की प्राचीन कला

- Harappan Art
- हड़प्पा सभ्यता की कला
- Mauryan Art

- मौर्यकालीन कला
- Kushana Art: Gandhara and Mathura art.
- कुशाण कला, गांधार एवं मथुरा कला
- Gupta Art
- गुप्तकालीन कला
- Art of Kalachuris of Ratanpur
- रतनपुर की कल्चूरी कला
- Buddhist Iconography
- बौद्ध छविचित्रण
- Jain Iconography
- जैन छविचित्रण
- Brahmana Iconography (Saiva and Vaishnava)
- ब्राम्हण छविचित्रण (शैव एवं वैश्णव)

Unit 2 Ancient Architecture

इकाई-2 प्राचीन वास्तुकला

- Harappan Architecture
- हड़प्पाकालीन वास्तुकला
- Mauryan Architecture
- मौर्यकालीन वास्तुकला
- Development of Stupa and Chaitya Architecture
- स्तूप एवं चैत्य वास्तुकला का विकास
- Evolution of Nagara Style of Temple - Khajuraho, Bhubaneshwar and Konark
- नागर शैली के मंदिर-खुजराहो, भुवनेश्वर एवं कोर्णाक मंदिर का विकास
- Evolution of Dravidian Style of Temple - Aihole, Mamallapuram, and Thanjavur,
- द्रविड़ शैली के मंदिर-ऐहोल, मामल्लपुरम एवं थंजावुर मंदिर का विकास
- Evolution of Vesara style of temple
- वेसर शैली के मंदिर का विकास
- Panduvanshi and Kalachuri temple architecture of Chhattisgarh
- छत्तीसगढ़ के पांडुवंशी व कल्चूरी मंदिर की वास्तुकला

Unit 3 Epigraphy & Palaeography

इकाई-3 पुरालेखशास्त्र एवं पुरालिपिशास्त्र

- Salient features of ancient Epigraphs. Epigraphy as a source of history.
- प्राचीन पुरालेख की मुख्य विशेषताएँ। इतिहास के स्रोत के रूप में पुरालेखशास्त्र
- Origin and Antiquity of Brahmi and Kharoshthi scripts
- ब्राम्ही एवं खरोश्टी लिपियों की उत्पत्ति एवं उनकी प्राचीनता।
- Mauryan Brahmi and history of its Decipherment.
- मौर्य ब्राम्ही एवं इसके गूढ़लेखन का इतिहास
- Palaeography- Box headed Brahmi, Nail headed Brahmi and Nagri Script
- पुरालिपिशास्त्र-बौखटा शीर्ष ब्राम्ही, नख शीर्ष ब्राम्ही एवं नागरी लिपी
- Eras and Dates in Indian Scripts.

- भारतीय लिपियों में काल एवं तिथियाँ

Unit 4 Numismatics

इकाई-4 मुद्राशास्त्री

- Numismatics as Source of History
- इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्रा संग्रहण
- Origin and Antiquity of Coinage in India
- भारत में सिक्के की उत्पत्ति एवं उसकी प्राचीनता
- Techniques of minting coin: Punch-marke, Cast, and Die-struck
- सिक्के ढालने की तकनीक-पंच चिह्नित, ढलाई एवं ठप्पांकन
- Broad Characteristics and identification of- Punch-marked, Indo-Greek, Kushana & Gupta Coins
- पंच चिह्नित, इंडो-यूनानी, कुशाण एवं गुप्त कालीन सिक्कों की पहचान व उनकी व्यापक विशेषताएँ
- Broad Characteristics and identification of- Sharabhpuri, Nala and Kalachuri Coins
- शरभपुरी, नाला एवं कल्चूरी काल के सिक्कों की पहचान एवं उनकी व्यापक विशेषताएँ

Unit 5 Museology

संग्रहालय विज्ञान

- Defination of Museology and Museography
- संग्रहालय विज्ञान की परिभाषा एवं संग्रहालय के अंतर्गत कलाकृतियों का वर्गीकरण व उनके प्रदर्शन की प्रणालियाँ
- Type of Museums
- संग्रहालय के प्रकार
- Collection and Modes of acquisition of Artifacts
- कलाकृतियों का संग्रहण एवं उनके अधिग्रहण की रीतियाँ
- Documentation process
- दस्तावेजीकरण प्रक्रिया
- Display and Exhibition
- प्रदर्शन एवं प्रदर्शनी
- Preservation of artifacts
- कलाकृतियों का संरक्षण

Archaeologist / पुरातत्त्वेत्ता

Part-B/ भाग-ब

Unit 1

इकाई-1

- Archaeology? Aims and objectives
- पुरातत्व ? लक्ष्य एवं उद्देश्य
- History of archaeology in Indian context
- भारतीय संदर्भ में पुरातत्व का इतिहास

Unit 2

इकाई-2

• Methods of Exploration & Survey - Traditional & Scientific

- अन्वेषण एवं सर्वेक्षण की रीतियाँ—परंपरागत एवं वैज्ञानिक
- Map & satellite image studies, Village to village survey and Sampling methods
- मानचित्र एवं उपग्रह छवि (Satellite, Image) अध्ययन, गांव से गांव तक सर्वेक्षण एवं नमूना लेने की पद्धतियाँ
- Identification of sites and mapping of sites
- स्थलों की पहचान एवं स्थलों का मानचित्रण
- Identification of Pottery and Stone Tools
- मृदापात्र संरचनाएँ एवं पाशाण औजारों की पहचान

Unit 3

इकाई-3

- Excavations-Planning, layout techniques, horizontal and vertical excavations
- उत्खनन—योजना, लेआउट तकनीक, क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर उत्खनन
- Excavation of rock-shelters & Pre-historic sites; Burial, Stupas and Mud Structure.
- पर्वताश्रय एवं पूर्व-ऐतिहासिक स्थलों, समाधि स्थल, स्तूपों एवं मृदा संरचनाओं का उत्खनन
- Under water archaeology
- जलीय पुरातत्व

Unit 4

इकाई-4

- Stratigraphy and recording
- स्तर विज्ञान एवं अभिलेखन
- Dating techniques-relative and absolute dating
- काल निर्धारण तकनीक—सापेक्ष एवं शुद्ध निर्धारण
- Methods of recording Excavated remains-preparation of sections and plans, role of Stratigraphy, three dimensional recording
- उत्खनित अवशेषों को अभिलेखित करने की रीतियाँ—वर्गों की तैयारी एवं योजनाएँ, स्तर विज्ञान की भूमिका, त्रिआयामी अभिलेखन
- The writing of archaeological reports of sites, monuments and antiquities
- स्थलों स्मारकों एवं पुरावशेषों के पुरातात्विक प्रतिवेदनों का लेखन

Unit 5

इकाई-5

- The Indian Treasure Trove Act, 1678
- भारतीय भू-उत्खनित कोश अधिनियम, 1678
- The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959
- प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष नियम 1959
- The Antiquities and Art Treasure Rules, 1973
- Public पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973
- Premises (Eviction of unauthorized occupants) Act, 1971
- सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अतिक्रमणकारियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971

(संग्रहाध्यक्ष पद हेतु)

Curator/ संग्रहालयाध्यक्ष

Part-A/ भाग-अ

Unit 1 Archaeology

इकाई-1 पुरातत्व

- Archaeology: Aims and objectives
- पुरातत्व—लक्ष्य एवं उद्देश्य
- Excavations- horizontal and vertical,
- उत्खनन—क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर
- Stratigraphy and recording
- स्तर विज्ञान एवं अभिलेखन
- Dating techniques-relative and absolute dating
- काल निर्धारण तकनीक—सापेक्ष एवं शुद्ध निर्धारण
- Identification of Pottery and Stone tool
- मुद्रा पात्र संरचनाएँ एवं कलाकृतियों के लिखित प्रतिवेदन
- The writing report of sites, monuments and antiquities
- स्थल, स्मारकों एवं कलाकृतियों के लिखित प्रतिवेदन
- The Indian Treasure Trove Act, 1678
- भारतीय भू-उत्खनित कोश अधिनियम 1678
- The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959
- प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष नियम 1959
- The Antiquities and Art Treasure Rules, 1973
- पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति नियम 1973

Unit 2 Ancient Art of India

इकाई-2 भारत की प्राचीन कला

- Harappan Art
- हड़प्पा सभ्यता की कला
- Mauryan Art
- मौर्यकालीन कला
- Kushana Art; Gandhara and Mathura art
- कुशाण कला, गांधार एवं मथुरा कला
- Gupta Art
- गुप्तकालीन कला
- Art of Kalachuris of Ratanpur
- रतनपुर की कलचूरी कला
- Buddhist Iconography
- बौद्ध छविचित्रण
- Jain Iconography
- जैन छविचित्रण
- Brahmana Iconography (Salva and Vaishnava)
- ब्राम्हण छविचित्रण (शैव एवं वैष्णव)

Unit 3 Ancient Architecture

इकाई-3 प्राचीन वास्तुकला

- Harappan Architecture.
- हड़प्पाकालीन वास्तुकला
- Mauryan Architecture
- मौर्यकालीन वास्तुकला
- Development of Stupa and Chaitya Architecture t of:
- स्तूप एवं चैत्य वास्तुकला का विकास

- Evolution of Nagara Style of Temple-hajuraho, Bhubaneshwar and Konark
- नागर शैली के मंदिर—खुजराहो, भुवनेश्वर एवं कोर्णाक मंदिर का विकास
- Evolution of Dravidian Style of Temple-Alhole, Mamallapuram, and Thanjavur
- द्रविड़ शैली के मंदिर—ऐहोल, मामल्लपुरम एवं थंजावुर मंदिर का विकास
- Evolution of Vesara style of temple
- वेसर शैली के मंदिर का विकास
- Panduvanshi and Kalachuri temple architecture of Chhattisgarh
- छत्तीसगढ़ के पांडुवंशी व कल्युरी मंदिर की वास्तुकला

Unit 4 Epigraphy & Palaeography

इकाई-4 पुरालेखशास्त्र एवं पुरालिपिशास्त्र

- Salient features of ancient Epigraphs. Epigraphy as a source of history.
- प्राचीन पुरालेख की मुख्य विशेषताएँ। इतिहास के स्रोत के रूप में पुरालेखशास्त्र
- Origin and Antiquity of Brahmi and Kharoshthi scripts
- ब्राम्ही एवं खरोश्टी लिपियों की उत्पत्ति एवं उनकी प्राचीनता।
- Mauryan Brahmi and history of its Decipherment
- मौर्य ब्राम्ही एवं इसके गूढ़लेखन का इतिहास
- Palaeography- Box headed Brahmi, Nall headed Brahmi and Nagri Script.
- पुरालिपिशास्त्र—चौखटा शीर्ष ब्राम्ही, नख शीर्ष ब्राम्ही एवं नागरी लिपी
- Eras and Dates in Indian Scripts
- भारतीय लिपियों में काल एवं तिथियां

Unit 5 Numismatics

इकाई-5 मुद्राशास्त्री

- Numismatics as Source of History Origin and Antiquity of Coinage in India.
- इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्रा संग्रहण भारत में सिक्के की उत्पत्ति एवं उसकी प्राचीनता
- Techniques of minting coin: Punch-marked, Cast, and Die-struck
- सिक्के ढालने की तकनीक—पंच चिन्हित, ढलाई एवं ठप्पाकन
- Broad Characteristics and Identification of-Punch-marked, Indo-Greek, Kushana & Gupta Coins
- पंच चिन्हित, इंडो-युनानी, कुशाण एवं गुप्त कालीन सिक्कों की व्यापक विशेषताएँ व उनकी पहचान
- Broad Characteristics and identification of-Sharabhपुरी, Nala and Kalachuri Coins
- शरभपुरी, नाला एवं कल्युरी काल के सिक्कों की व्यापक विशेषताएँ व उनकी पहचान

Curator/संग्रहालयाध्यक्ष

Part-B/ भाग-ब

Unit 1: Introduction to Museology

इकाई-1 परिचय—संग्रहालय विज्ञान

- Definitions of Museums, Museology and Museography
- संग्रहालय, संग्रहालय विज्ञान की परिभाषा एवं संग्रहालय के अंतर्गत कलाकृतियों का वर्गीकरण व उनके प्रदर्शन की प्रणालियां
- History of Museums in India
- भारत में संग्रहालयों का इतिहास
- Theories of Museology
- संग्रहालय विज्ञान के सिद्धांत

Unit 2: Scope, Types and function of museums

इकाई-2 संग्रहालयों का क्षेत्र, प्रकार व कार्य

- Type of Museums
- संग्रहालयों के प्रकार
- Functions of a Museum
- संग्रहालय के कार्य
- Nature of Museum work Le.- Professional Museum Organizations, Museum Associations and their work, Professional ethics
- संग्रहालयीन कार्य की प्रकृति अर्थात्—व्यवसायिक संग्रहालय संगठन, संग्रहालय संघ एवं उनके कार्य, व्यवसायिक नैतिकता

Unit 3: Collection, Documentation & Display

इकाई-3 संग्रहण, दस्तावेजीकरण एवं प्रदर्शन

- Collections: Theories, policies, ethics and problems of collection
- संग्रहण—सिद्धांत, नीतियां, नैतिक मूल्य एवं संग्रहण में कठिनाई
- Modes of acquisition
- अधिग्रहण की रीतियां
- Documentation process
- दस्तावेज संकलन प्रक्रिया
- Type of exhibitions
- प्रदर्शनी के प्रकार
- Organization of exhibitions & Planning
- प्रदर्शनियों का संगठन एवं योजना

Unit 4: Preservation

इकाई-4 संरक्षण

- Ethics of conservation, preservation, principles of maintenance of collection
- संग्रहण के संरक्षण, परिस्क्षण एवं उनके रखरखाव की विधि अथवा सिद्धांत
- Environmental factors, aspects, material-organic/inorganic
- पर्यावरणीय कारक, स्वरूप, सामग्री—जैविक/अकार्बनिक
- Emergency conservation treatment and resources
- आपातकालीन संरक्षण—उपचार एवं संसाधन
- Relation between museums and conservation-awareness of outside facilities
- संग्रहालयों एवं संरक्षण के मध्य संबंध—बाह्य सुविधाओं के प्रति जागृति।

Unit 5 Museum Management, Research & Publication

इकाई-5 संग्रहालयीन प्रबंधन, अनुसंधान एवं प्रकाशन

- Museum Administration:

- संग्रहालय प्रशासन :-
- Administrative framework
- प्रशासकीय ढांचा
- Management policy and Museum Marketing
- प्रबंधन नीति एवं संग्रहालय विपणन
- Budget and financing-loans, funds, schemes
- बजट एवं वित्तपोषण-ऋण, धन, योजनाएं
- Personnel, Security and Maintenance
- कार्मिक, सुरक्षा एवं रखरखाव
- Research and Publications:
- अनुसंधान एवं प्रकाशन :-
- Popular Publications-guidebook, catalogues, brochures, journals (news letters) etc.
- लोकप्रिय प्रकाशन-मार्गदर्शिका, सूचीपत्र, विवरणिका, पत्रिका (संबंधित समाचार पत्रिका) इत्यादि
- Museological Research, Visitor surveys and exhibit evaluation studies.
- संग्रहालयीन अनुसंधान, आगन्तुक सर्वेक्षण एवं प्रदर्शन मूल्यांकन अध्ययन



**परिशिष्ट-तीन,
“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”**

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।
- (2). अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावति एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/SMS देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- (4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैंफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
- (5). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउंड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम
- (6). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/ Reflective Document Mat) को नहीं।
- (7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
- (8). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।
- (9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है। अतः आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा शुल्क भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलता पूर्वक कर दिया गया है।
- (10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
- (11). आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
- (12). ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-
 - (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार निःशुल्क किया जा सकता है।
 - (iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप

में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

- (iv) परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- (iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का झूठ भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदकों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।*
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेगा।

□□□□□